पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 03
दिनांक -01/01/2026

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- **भैंस चोरी करने वाले 02 शातिर चोर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद भैंस व 01 अदद लोडर वाहन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.12.2025 को वादी श्री हिमांशु यादव पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी रहीमाबाद थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा की भैंस चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0355/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था जिसकी तलाश पतारसी हेतु थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर प्रयास किये जा रहे थे।

आज दिनांक 31.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- नदीम पुत्र स्व बरकत अली उम्र करीब 20 वर्ष थाना असीवन जनपद उन्नाव व 2- सद्दाम पुत्र स्व रईस उम्र करीब 24 वर्ष निवासी कुल्हा अटौरा थाना असीवन जनपद उन्नाव को किसान पथ नटकुर अण्डरपास के पास से लोडर मे भैंस लिये जा रहे थे कि बिजनौर पुलिस टीम द्वारा समय 21.35 बजे हिरासत पुलिस में आज दिनांक 01.01.2026 को बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी व अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0स0 355/2025 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- नदीम पुत्र स्व बरकत अली उम्र करीब 20 वर्ष थाना असीवन जनपद उन्नाव
2- सद्दाम पुत्र स्व रईस उम्र करीब 24 वर्ष निवासी कुल्हा अटौरा थाना असीवन जनपद उन्नाव

04-अभियुक्त नदीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 230/24 धारा 318(2)/336(3)/340(2) बीएनएस, 3/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 4/25 आयुध अधिनियम थाना दुबग्गा लखनऊ

05-बरामदगी-

- 01 अदद लोडर वाहन संख्या यूपी 32 एमएन2861 घटना में प्रयुक्त
- 01 अदद चोरी हुई भैंस

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल गौतम थाना बिजनौर लखनऊ
02-उ0नि0 संतोष कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
03-उ0नि0 गजय सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ
04-उ0नि0 अंकुर कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
05-का0 भूपेन्द्र कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
06-का0 सुरजीत थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-04
दिनांक- 01/01/2026

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

- **कूटरचना कर बैनामा करने वाला वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.08.2025 को वादिनी श्रीमती विकेशिका अवस्थी पत्नी श्री अतुल कुमार अवस्थी निवासिनी 2316 नजदीक अंकुर होम राजाजीपुरम लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण 1. श्री सचिन सचदेवा 2. अन्य अज्ञात महिला 3. अतुल कुमार अवस्थी 4. अमित सचदेवा आदि द्वारा षडयन्त्र करके वादिनी मुकदमा के स्थान पर किसी अन्य अज्ञात महिला को खड़ा करके विपक्षीगण ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा श्री सचिन सचदेवा के नाम करा देना तथा वादिनी के द्वारा विरोध करने पर वादिनी व वादिनी के तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 0242/2025 धारा 318(2)/338/336(2)/340(2)/351(3)/61(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था।

जिसमें अभियुक्तगण की तलाश जारी थी कि दिनांक 31.12.2025 को अभियुक्त अतुल कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 कला कृष्ण अवस्थी निवासी म0नं0-2316 नजदीक अंकुर नर्सिग होम थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब-46 वर्ष के मोबाईल की लोकेशन के आधार पर बटोही ढाबा ऊचाँहार जनपद रायबरेली प्रयागराज हाईवे रोड लखनऊ से समय करीब 17.00 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 01.01.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

अभियुक्तगण द्वारा षडयन्त्र करके वादिनी मुकदमा के स्थान पर किसी अन्य अज्ञात महिला को खड़ा करके विपक्षीगण ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा श्री सचिन सचदेवा के नाम करा देना तथा वादिनी के द्वारा विरोध करने पर वादिनी व वादिनी के तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी देना।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0242/2025धारा-318(2)/338/336(2)/340(2)/351(3)/61(2)बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01-अतुल कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 कला कृष्ण अवस्थी निवासी म0नं0-2316 नजदीक अंकुर नर्सिग होम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ उम्र करीब-46 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल गौतम थाना बिजनौर लखनऊ
2. म0उ0नि0 सौम्या मिश्रा थाना बिजनौर लखनऊ
3. उ0नि0 प्रदीप कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
4. उ0नि0 तेजवीर सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ
5. हे0का0 अरुण कुमार सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-02
दिनांक 01.01.2026

मध्य जोन/थाना हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:

थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0178/2025 धारा 108 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्ता तृप्ति भारती पुत्री स्व0 काशी प्रसाद नि0 मं0नं0 105/233/38 कैण्ट रोड फूलबाग थाना कैसरबाग लखनऊ को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्ता के खिलाफ अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

थाना हुसैनगंज पर दिनांक 31.12.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती पूजा सोनकर पत्नी निर्मल सोनकर निवासी म0नं0 55/101, माता सुग्गा देवी मार्ग खटिकाना थाना हुसैनगंज लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0178/2025 धारा 108 बी0एन0एस0 बावत प्रतिवादी द्वारा वादिनी के देवर (चचेरा) अशिकांश को आत्महत्या हेतु उकसाना जिससे वादिनी के देवर द्वारा फ्लोर क्लीनर पीकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

आज दिनांक 01.01.2026 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता तृप्ति भारती पुत्री स्व0 काशी प्रसाद नि0 मं0नं0 105/233/38 कैण्ट रोड फूलबाग थाना कैसरबाग लखनऊ को निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

03-अभियुक्ता का विवरण-

01-तृप्ति भारती पुत्री स्व0 काशी प्रसाद नि0 मं0नं0 105/233/38 कैण्ट रोड फूलबाग थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष।

04- अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0178/2025 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 गौरव पाण्डेय, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. म0उ0नि0 शिल्पी देवी, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
4. म0का0 निहारिका अग्निहोत्री, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-01
दिनांक-01.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-महिगवां

- **वादिनी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.12.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्राप्त तहरीरी सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा वादिनी को कमरे में बन्द कर दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देना व वादिनी का मोबाइल फोन तोड़ देना तथा वादिनी की पुत्री उम्र करीब दो से ढाई साल के साथ अश्लील हरकत करना व बेटी की गलत वीडियों बनाने के सम्बन्ध में थाना महिगवां पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 127(2)/324(4)/70(1)/351(3)/74/294 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना अति0 निरीक्षक श्री मथुरा राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 31.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में विवेचक अति0 निरीक्षक मथुरा राय मय हमराही का0 लाल बहादुर व का0 अरविन्द कुमार के चौकी पहाडपुर पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत पहाड़पुर ग्राम के आगे परसऊ मोड़ पर खड़ा है।

मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर अति0 निरीक्षक मथुरा राय मय पुलिस बले के परसऊ मोड़ पहुचा कि परसऊ मोड़ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखायी दिया कि नजदीक पहुंच कर उक्त व्यक्ति को रोका व टोका गया तो पुलिस वालो को अचानक देख भागने का प्रयास किया कि मौके पर ही हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी एवं उसके द्वारा कारित जुर्म से अवगत कराते हुए दिनांक 31.12.2025 समय करीब 19.07 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की जामातलाशी से 01 अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी का बरामद हुआ जिसे सील सर्व मुहर कर मालखाना में दाखिल कराया गया।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को आज दिनांक 01.01.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा वादिनी को कमरे में बन्द कर दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देना व वादिनी का मोबाइल फोन तोड़ देना व वादिनी की पुत्री उम्र करीब दो से ढाई साल के साथ अश्लील हरकत करना व बेटी की गलत वीडियो बनाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण / व्यवसाय—

01-रंजीत पुत्र मोलहेराम निवासी ग्राम सरसवां थाना महिगवां लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष, (व्यवसाय – प्लाटिंग का कार्य)

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-151/2025 धारा 127(2)/324(4)/70(1)/351(3)/74/294 बीएनएस 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना महिगवां लखनऊ

05-बरामदगी:-

- 01 अदद मोबाइल कम्पनी ओप्पो।

06-अभियुक्त रंजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

a) मु0अ0सं0 20/2023 धारा 323/506 भादवि थाना बीकेटी जनपद लखनऊ।

b) मु0अ0सं0 122/2024 धारा 376/323/506/419/420 भादवि थाना महिगवां जनपद लखनऊ।

अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री रामकुमार गुप्ता (प्रभारी निरीक्षक) थाना महिगवां
2. अति0 निरीक्षक श्री मथुरा राय थाना महिगवां
3. का0 लाल बहादुर थाना महिगवां
4. का0 अरविन्द कुमार थाना महिगवां

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कस्मडी खुर्द थाना मलिहाबाद में चलाया गया मिशन शक्ति जागरूकता अभियान

महिला सुरक्षा और अधिकारों पर हुई ग्राम चौपाल: पुलिस-जनता संवाद ने बढ़ाया महिला सुरक्षा का विश्वास।

"मिशन शक्ति 5.0-हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग हमारी"

दिनांक- 01.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- उ0नि0 सल्लाहमुलह खां थाना मलिहाबाद
- हे0का0 राजू कुमार थाना मलिहाबाद
- म0का0 अंकिता सिंह थाना मलिहाबाद
- म0का0 ललिता सिंह थाना मलिहाबाद
- **थाना मलिहाबाद, ग्राम कस्मडी खुर्द में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।**

प्रतिभाग-

मलिहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम **कस्मडी खुर्द** मे रहने वाली करीब 25- 30 महिलायें, बालिकायें एवं बच्चे ।

कार्यक्रम का उद्देश्यः

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत थाना मलिहाबाद टीम द्वारा आज दिनांक 01-01-2026 को मलिहाबाद के **कस्मडी खुर्द** ग्राम में 25- 30 महिलाओं की चौपाल लगा कर थाने पर बने महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र के बारे में बताया गया, महिला संबधी योजनाओं की जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए, सभी को 112,1090,1076,101,108 आदि नंबर की भी जानकारी दी गई ।

साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया।

चौपाल में उपस्थित महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी

* दहेज प्रतिषेध अधिनियम
* घरेलू हिंसा अधिनियम
* बाल विवाह निषेध अधिनियम
* कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

2. महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

* 1090 (वुमेन पावर लाइन)
* 112 (आपातकालीन सेवा)
* 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

3. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

* सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
* साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

महिलाओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

निष्कर्ष: यह पहल निश्चित रूप से "महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन" के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऐसे प्रयासों को और अधिक गांवों और वार्डों में लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि एक सुरक्षित और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 01.01.2026

मिशन शक्ति 5.0-हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग हमारी।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत रहीमाबाद थाना क्षेत्र में स्थित बाराही देवी मंदिर ससपन में दर्शन करने आई महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक **सराहनीय कदम** है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल, मिशन शक्ति प्रभारी थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट Ssi श्री उमेश यादव थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट

रहीमाबाद थाना क्षेत्र में स्थित बाराही देवी मंदिर ससपन

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल, मिशन शक्ति प्रभारी थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- Ssi श्री उमेश यादव थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार मिश्रा थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- का0 मनु कुमार थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रियंका डागर थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट

रहीमाबाद थाना क्षेत्र में स्थित बाराही देवी मंदिर ससपन में दर्शन करने आई **करीब 50- 60 महिलाए।**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 01-01-2026 को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में स्थित बाराही देवी मंदिर ग्राम ससपन जाकर दर्शन करने आई **करीब 50- 60** महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत बताया गया कि कि कौन कौन-से आचरण और व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा साइबर जागरूकता अभियान के महिलाओं को मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 112, 181, 1930 ,102,108 तथा थाना स्थानीय पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र महिला हेल्प डेस्क एवं वर्तमान में हो रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

❖ **भरोसा और पारदर्शिता:** ऐसे संवाद पुलिस और समुदाय के बीच की खाई को पाटते हैं। जनता की चिंताओं को सीधे सुनना और उनका समाधान बताना विश्वास बढ़ाता है।

❖ **डर का अंत:** अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। ऐसे माहौल में वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और बिना डर के आगे आ सकेंगी।

❖ **त्वरित कार्रवाई:** सीधे संवाद से समस्याओं को जल्दी समझा और हल किया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर किन चुनौतियों का सामना है, यह सीधे पता चलता है।

❖ **जागरूकता:** पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, सेल्फ-डिफेंस के गुर, और तकनीकी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती है।

महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी

* दहेज प्रतिषेध अधिनियम
* घरेलू हिंसा अधिनियम
* बाल विवाह निषेध अधिनियम
* कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

2. महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

* 1090 (वुमेन पावर लाइन)
* 112 (आपातकालीन सेवा)
* 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

3. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

* सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
* साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

महिलाओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत 51 शक्ति पीठ रोड पर, में चलाया गया मिशन शक्ति विशेष जागरूकता कार्यक्रम, महिला यात्रियो व बच्चो को किया गया जागरुक ।

मिशन शक्ति 5.0: "डर नहीं, अब जवाब दो – 1090 पर आवाज दो!"

दिनांक- 01.01.2026

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **01-01-2026** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना **बक्शी का तालाब (बीकेटी)** क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

यह जागरूकता कार्यक्रम ***थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत 51 शक्ति पीठ रोड पर*** में चलाया गया, जिसमें महिला यात्रियों, छात्राओं और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना बी0के0टी0 द्वारा ***थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत 51 शक्ति पीठ रोड पर*** एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक टीम -

- उपनिरीक्षक श्री संजय सिंह थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ व
- महिला आरक्षी दीपा सिसोदिया थाना बीकेटी

आयोजन का विवरण-

थाना बीकेटी द्वारा आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में ***थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत 51 शक्ति पीठ रोड पर*** भ्रमणशील रहकर महिला यात्रियों और बच्चों को जागरूक किया गया।

प्रतिभागी: -

थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत ***थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत 51 शक्ति पीठ रोड पर*** दर्शन करने आई **महिला व बच्चे**।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश

महिला थाना द्वितीय की टीम ने छात्राओं और महिलाओं को विभिन्न सुरक्षा और सशक्तिकरण पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. मिशन शक्ति केंद्र-

मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना लखनऊ कमिश्नरेट के प्रत्येक थाने में की गई है। इन केंद्रों का उद्देश्य थाने पर आने वाली महिलाओं को एक **सुरक्षित, संवेदनशील और त्वरित सहायता** प्रदान करना है। केंद्र में प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध रहती हैं, जो किसी भी प्रकार की महिला संबंधित समस्या जैसे छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शोषण आदि पर **त्वरित कार्यवाही** सुनिश्चित करती हैं।

---

2. एंटी रोमियो स्क्वाड टीम-

यह विशेष टीम सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व छात्राओं के साथ होने वाली **छेड़छाड़, पीछा करने व उत्पीड़न** जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही के लिए गठित की गई है। टीम गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है एवं ज़रूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करती है।

---

3. महिला सुरक्षा केंद्र-

प्रत्येक थाने में संचालित यह केंद्र महिला शिकायतों की **गोपनीयता और संवेदनशीलता** को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। यहां महिलाओं को मानसिक, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे बिना भय के अपनी समस्या दर्ज कर सकें और उन्हें समाधान मिल सके।

---

4. महिला सशक्तिकरण-

टीम द्वारा महिलाओं को उनके **संवैधानिक अधिकारों**, **कानूनी सुरक्षा प्रावधानों**, तथा **राज्य/केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं** की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार वे शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यह जानकारी महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए आवश्यक है।

---

5. साइबर अपराधों से बचाव-

महिलाओं को डिजिटल युग में बढ़ रहे **साइबर अपराधों** जैसे कि सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाना, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अश्लील संदेश आदि के खिलाफ सजग किया गया। उन्हें बताया गया कि ऐसे अपराधों की शिकायत कैसे और कहां की जा सकती है, साथ ही **साक्ष्य संकलन और गोपनीयता** बनाए रखने के उपाय भी समझाए गए।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं को त्वरित सहायता के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया:

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार की सहायता हेतु उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

हेल्पलाइन नंबर	उद्देश्य
1076	**मुख्यमंत्री हेल्पलाइन** – जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु
1090	**वीमेन पावर लाइन** – महिला उत्पीड़न की गुप्त शिकायत हेतु
112	**इमरजेंसी सेवा** – पुलिस, एंबुलेंस, फायर सर्विस के लिए एकीकृत नंबर
181	**महिला हेल्पलाइन** – महिला सुरक्षा और सहायता हेतु
1930	**साइबर अपराध हेल्पलाइन**–ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर शिकायत हेतु
102	**एंबुलेंस सेवा** – मातृ स्वास्थ्य व सामान्य स्वास्थ्य सेवाए
108	**इमरजेंसी एंबुलेंस** – दुर्घटना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में सहायता

टीम ने थाना स्थानीय पर संचालित **महिला सुरक्षा केंद्र** एवं **महिला हेल्प डेस्क** के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 01-01-2026

मिशन शक्ति 5.0-हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग हमारी।

ग्राम चतुरपर , थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ में चलाया गया मिशन शक्ति जागरूकता अभियान

पुलिस-जनता का हुआ संवाद, महिला सुरक्षा में बना नया विश्वास।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र राय थाना महिंगवा लखनऊ कमिश्नरेट
- हे0का0 बृजेन्द्र कुमार थाना महिंगवा लखनऊ कमिश्नरेट
- म0आ0 स्वर्णिम सिंह थाना महिंगवा लखनऊ कमिश्नरेट
- **ग्राम चतुरपर , थाना महिंगवाँ जनपद लखनऊ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।**

प्रतिभाग-

ग्राम चतुरपर , थाना महिंगवाँ जनपद लखनऊ थाना महिंगवा की रहने वाली करीब 50- 60 महिलाए।

कार्यक्रम का उद्देश्यः

- ❖ **भरोसा और पारदर्शिताः** ऐसे संवाद पुलिस और समुदाय के बीच की खाई को पाटते हैं। जनता की चिंताओं को सीधे सुनना और उनका समाधान बताना विश्वास बढ़ाता है।
- ❖ **डर का अंतः** अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। ऐसे माहौल में वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और बिना डर के आगे आ सकेंगी।
- ❖ **त्वरित कार्रवाईः** सीधे संवाद से समस्याओं को जल्दी समझा और हल किया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर किन चुनौतियों का सामना है, यह सीधे पता चलता है।
- ❖ **जागरूकताः** पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, सेल्फ-डिफेंस के गुर, और तकनीकी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती है।